फर्द अहकाम

रोहिताश सिंह वगै० बनाम किशनपाल वगैरह

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 45 / 2023 भू-राजस्व अ० 52

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 13/9/23 | राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>कोटपूतली–बहरोड | 36<br>9/10/23 |
| 25/10/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते अधिकारी दिनांक 3/1/24 को पेश हो। | |
| 3/1/24 | आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित /अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी आज अवकाश /दौरे/मिटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/3/24 को पेश हो।<br><br>रीडर | |
| 6/3/24 | पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण के प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण के प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के पीठासीन (तत्कालीन) का संदेशा होने से यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। माननीय न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन / प्रभावहीन हो गया है।<br>अतः यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र सारहीन प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। माननीय न्यायालय को निगरानी की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बोल्ड कवर होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>कोटपूतली–बहरोड़ | |